सं. ए–12012/01/2021-प्रशासन-III
भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

संचार भवन, 20, अशोक रोड
नई दिल्ली–110001
दिनांक: 01. 07. 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषयः अनुकंपा के अधार पर नियुक्ति संबंधी स्कीम – दूरसंचार विभाग में चयन के लिए संबंधित पात्रता (मेरिट) अंक प्रणाली और प्रक्रिया।

इस स्कीम का उद्देश्य सेवाकाल के दौरान मृत्यु अथवा चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी जिसके कारण उसका परिवार गरीबी की दशा में चला गया है और आजीविका के संसाधन से विहीन हो गया है, के आश्रित परिवार के सदस्य को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करना है। यह व्यवस्था संबंधित सरकारी कर्मचारी के परिवार को आर्थिक तंगी से मुक्ति दिलाने और उन्हें आपात स्थिति से उबारने में सहयोग देने हेतु है।

2. इस स्कीम के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में डीओपीटी के मौजूदा निर्देशों की समय-समय पर समीक्षा/संशोधन/सरलीकरण किया जाता रहा है ताकि अंततः तैयार कार्य प्रणाली अधिक पारदर्शी, कुशल और एक समान प्रकृति की बन सके।

3. मौजूदा स्थिति की समीक्षा की गई है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की स्कीम के उद्देश्य की प्राप्ति और संपूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु आवेदकों को डीओपीएंड्टी के संदर्भ में समय-समय पर उल्लिखित विभिन्न विशिष्टताओं के आधार पर अंक आवंटित करते हुए संबंधित मामलों की पात्रता (मेरिट) आसानी से निर्धारित की जा सकती है। तद्नुसार इस प्रयोजन के लिए गठित विभागीय समिति ने अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदक की विभिन्न विशिष्टताओं को वेटेज देने के लिए एक सापेक्ष पात्रता अंक प्रणाली विकसित की है जो <u>अनुबंध-।</u> में यथानिर्धारित सौ बिंदुओं के मापदंडों (प्वाइंट-स्केल) के आधार पर है।

4. अनुबंध-। में यथाउल्लिखित 100 अंकों वाले मापदंडों को लागू करते समय यदि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि कुछ अभ्यर्थियों को वरीयता में समान अंक प्राप्त होते हैं और संवर्ग (केडर) नियंत्रण प्राधिकारी ऐसे अभ्यर्थियों की पात्रता का निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है तो ऐसे मामलों में निम्नलिखित अनुसार टाई ब्रेकिंग फैक्टर को लागू किया जा सकता है:

i) प्रति आश्रित व्यक्ति उपलब्ध आय अर्थात कुल वार्षिक पारिवारिक पेंशन को आश्रितों की कुल संख्या से विभाजित किया जाए। प्रति आश्रित व्यक्ति उपलब्ध आय जितनी कम होगी, बराबरी पर (टाई) रहने वाले आवेदकों में उनका रैंक उतना ऊपर होगा।

5. उपरोक्त टाई ब्रेकिंग फैक्टर का उपयोग केवल 100 – प्वाइंट स्केल मापदंड पर समान अंक प्राप्त करने वाले आवेदकों की सापेक्ष पात्रता निर्धारित करने के लिए किया जाना चाहिए और ऐसा केवल उसी स्थिति में किया जाए जब समान अंक प्राप्त करने वाले आवेदकों को उपलब्ध रिक्तियों की एवज में स्थान नहीं दिया जा सकता हो।

6. अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदनों की प्रोसेसिंग में प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए <u>अनुबंध-II</u> में दिए गए फॉर्म का उपयोग किया जाए जिसके निम्नलिखित तीन भाग हैं:

क्र.सं.	प्रोफार्मा	शीर्षक
1	क	सेवा में रहते हुए मृत्यु अथवा चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त हुए सरकारी कर्मियों के आश्रितों द्वारा अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने के लिए फार्म।
2	ख	जिस कार्यालय में रोजगार देना प्रस्तावित है उस कार्यालय द्वारा भरा जाए।
3	ग	अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु - 100प्वाइंट स्केल मापदंड पर सापेक्ष मेरिट अंकों का मूल्यांकन।

7. वेटेज की यह प्रणाली न केवल संपूर्ण प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाती है बल्कि चयन प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता और एकरूपता को भी सुनिश्चित करती है। इसके बाद अब अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदकों की तुलनात्मक मेरिट का आकलन करने के लिए डीओपीटीएंडटी द्वारा जारी निर्देशों के साथ वेटेज प्वाइंट सिस्टम का भी कड़ाई से पालन किया जाएगा।

8. इसे सचिव (टी) के अनुमोदन से जारी किया गया है।

(अरविंद कुमार झा)
अवर सचिव, भारत सरकार
फोन नंबर 011 -2303 6210
ईमेल: Arvindk.jha29@gov.in

संलग्नक : ऊपरोक्त अनुसार

प्रति:
1. कल्याण अधिकारी, दूरसंचार विभाग, नई दिल्ली।
2. डीडीजी (सीएंडए), डीओटी; डीजी (टी), डीओटी; प्रशासक (यूएसओएफ), डीओटी; सीजीसीए, डीओटी; निदेशक (डब्ल्यूएमओ); यूएस (एसईए), डीओटी
3. आरटीआई अनुभाग - आरटीआई पोर्टल पर अपलोड करने के लिए
4. निदेशक (आईटी) - दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

दूरसंचार विभाग में अनुबंध-II के भाग-सी के लिए 100 - प्वाइंट स्केल मापदंड पर आधारित अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदक की विभिन्न विशिष्टताओं के मद्देनजर अंक आवंटन हेतु सापेक्ष पात्रता (मेरिट) अंक प्रणाली

1. परिवार की आय - (कुल 40 अंक)

i) पारिवार पेंशन/पेंशन # (मूल डीए राशि सहित) - (20 अंक)

क्र. स.	स्लैब	वेटेज अंक
1	10,000 तक + डीए*	20
2	10,001-13,000 + डीए*	18
3	13,001-16,000 + डीए*	16
4	16,001-19,000 + डीए*	14
5	19,001-22,000 + डीए*	12
6	22,001-25,000 + डीए*	10
7	25,001-28,000 + डीए*	08
8	28,001-31000 + डीए*	06
9.	31,001-34,000 + डीए*	04
10.	34,001 और अधिक + डीए*	02

नोट: इसे सेवा रिकॉर्ड से सत्यापित और सरकारी कर्मचारी के संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाए।

* वर्ष की 1 जनवरी से शुरू होने वाले नियुक्ति चक्र के लिए पिछले वर्ष की 31 दिसंबर तक की स्थिति के अनुसार

डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14014/02/2012-स्था.(डी) दिनांक 16.01.2013 के तहत कवर केवल विशिष्ट चिकित्सीय रूप से अशक्त हुए कर्मचारियों के संबंध में पेंशन

ii) सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर परिवार को मिलने वाले सेवांत लाभ अर्थात एकमुश्त राशि (यथा डीसीआर ग्रेच्युटी, जीपीएफ/पीपीएफ खाता शेष, सीजीईजीआईएस, अवकाश नकदीकरण) - (10 अंक)

सेवांत लाभ			
दिनांक 01.01.2016 के बाद के मृत्यु वाले मामलों हेतु	**दिनांक 01.01.2006 से 31.12.2015 के बीच मृत्यु वाले मामलों हेतु**	**दिनांक 01.01.2006 से पूर्व के मृत्यु वाले मामलों हेतु**	**वेटेज अंक**
10,00,000 तक	4,50,000 तक	1,00,000 तक	10
10,00,001-13,00,00	4,50,001-5,25,000	1,00,001-1,20,000	09
13,00.001-16,00,000	5,25,001-6,00,000	1,20,001-1,40,000	08
16,00,001-19,00,000	6,00,001-6,75,000	1,40,001-1,60,000	07
19,00,001-22,00,000	6,75,001-7,50,000	1,60,001-1,80,000	06
22,00,001-25,00,000	7,50,001-8,25,000	1,80,000-2,00,000	05
25,00,001-28,00,000	8,25,001-9,00,000	2,00,001-2,20,000	04
28,00,001-31,00,000	9,00,001-9,75,000	2,20,001-2,40,000	03
31,00,001-34,00,000	9,75,001-10,50,000	2,40,001-2,60,000	02
34,00,001-37,00,000	10,50,001-11,25,000	2,60,001-3,00,000	01
37,00,001 और अधिक	11,25,001 और अधिक	3,00,001 और अधिक	00

नोट: इसे सेवा रिकॉर्ड से सत्यापित और सरकारी कर्मचारी के संबंधित प्रशासनिक द्वारा प्रमाणित किया जाए।

iii) सेवा लाभों के अलावा आय - चल/अचल संपत्ति से होने वाली वार्षिक आय तथा परिवार के अन्य सदस्य (सदस्यों) द्वारा अर्जित वार्षिक आय - (10 अंक)

क्र. सं.	वार्षिक आय	वेटेज अंक
1.	**शून्य**	10
2.	1-1,25,000	08
3.	1,25,001-1,50,000	06
4.	1,50,001-1,75,000	04
5.	1,75,001–2,00,000	02
6.	2,00,001 और अधिक	00

नोटः विभिन्न दस्तावेजों (जैसे, बैंक स्टेटमेंट, आईटीआर, राजस्व अधिकारियों से प्रमाण पत्र) और आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र से सत्यापित किया जाए और सरकारी कर्मचारी के संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा इसे प्रमाणित किया जाए।

2. चल/अचल परिसंपत्तियां/परिवार की संपत्ति (अद्यतन बाजार मूल्य) जिसमें सावधि जमा/बैंक बैलेंस, अन्य निवेश, एलआईसी क्लेम आदि शामिल हैं। (उपरोक्त बिंदु 1 (iii) में यथा उल्लिखित प्राप्त सेवा लाभों को छोड़कर) – (05 अंक)

क्र. सं.	वार्षिक आय	वेटेज अंक
1.	शून्य	5
2.	10,00,000 तक	4
3.	10,00,001-20,00,000	3
4.	20,00,001-30,00,000/-	2
5.	30,00,001-40,00,000/-	1
6.	40,00,001 और अधिक	0

आवेदक द्वारा प्रस्तुत सेवा रिकॉर्ड, राजस्व/नगरपालिका प्राधिकरणों/संबंधित विभागों के दस्तावेजों/शपथपत्र/प्रमाण पत्र आदि से सत्यापित किया जाए और इन्हें संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाए।

3. परिवार पर कर्ज (बैंकों/वित्तीय संस्थानों से)/बकाया ऋण – (10 अंक)

क्र. सं.	वार्षिक आय	वेटेज अंक
1.	5,00,000 तक	2
2.	5,00,001 - 10,00,000	4
3.	10,00,001 -15,00,000	6
4.	15,00,001-20,00,000/-	8
5.	20,00,001और अधिक	10

4. मृतक/चिकित्सकीय रूप से अशक्त हुए कर्मचारी की शेष सेवा अवधि (10 अंक)**

मृतक की शेष सेवा अवधि	वेटेज अंक	मृतक की शेष सेवा अवधि	वेटेज अंक
02 वर्ष तक	01	>10< 12 वर्ष	06
> 02 <04 वर्ष	02	> 12 <14 वर्ष	07
>04 < 06 वर्ष	03	> 14 <15 y वर्ष	08

>06 < 08 वर्ष	04	> 15 वर्ष	10
>08<10 वर्ष	05		

नोट: इसे सेवा रिकॉर्ड से सत्यापित और सरकारी कर्मचारी के संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाए।

** डीओपीटी के दिनांक 16.01.2013 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14014/02/2012-स्था.(डी) के अनुसार चिकित्सकीय रूप से अशक्त।

5. सरकारी कर्मचारी की मृत्यु अथवा चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति के बाद की समयावधि (तत्काल राहत) - (10 अंक)**

क्र. सं.	सरकारी कर्मचारी की मृत्यु अथवा चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति के बाद की समयावधि	वेटेज अंक
1.	0 - 1 वर्ष	10
2.	1 - 2 वर्ष	08
3.	2 - 3 वर्ष	06
4.	3 - 5 वर्ष	04
5.	5 वर्ष और अधिक	02

नोट: इसे सेवा रिकॉर्ड से सत्यापित और सरकारी कर्मचारी के संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाए।

** डीओपीटी के दिनांक 16.01.2013 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14014/02/2012-स्था.(डी) के अनुसार चिकित्सकीय रूप से अशक्त।

6. आश्रितों की संख्या (नाबालिग बच्चों के अलावा) -(05 अंक)

क्र. सं.	आश्रितों की संख्या	वेटेज अंक
1.	2 तक	02
2.	तीन और अधिक	05

नोट: इसे सेवा रिकॉर्ड से सत्यापित और सरकारी कर्मचारी के संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाए।

7. मृतक सरकारी कर्मचारी के नाबालिग बच्चे - (10 अंक)

क्र. सं.	नाबालिग बच्चों की संख्या	वेटेज अंक
1.	01	05
2.	02 और अधिक	10

नोट: इसे सेवा रिकॉर्ड से सत्यापित और सरकारी कर्मचारी के संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाए।

8. आश्रित, दिव्यांग (शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग) (कोई आयु सीमा नहीं) (10 अंक)

नोट: आवेदक द्वारा प्रस्तुत सिंगल स्टेटस प्रमाण पत्र, जिला मजिस्ट्रेट या उप-मंडल मजिस्ट्रेट द्वारा नोटरीकृत शपथपत्र को सेवा रिकॉर्ड से सत्यापित किया जाए और इसे सरकारी कर्मचारी के संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाए। केंद्र सरकार में नियुक्ति हेतु समय-समय पर दिव्यांग (विकलांग) व्यक्तियों के लिए आरक्षण के संबंध में डीओपीटी द्वारा यथापरिभाषित विकलांगता स्थिति को

सुनिश्चित किया जाएगा। तदनुसार संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाएं।

सामान्य नोट:

1. **उपरोक्त के अतिरिक्त ऐसे मामलों में जहां मृतक कर्मचारी की विधवा/चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारी की पत्नी ने स्वयं के लिए अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया है, उसे अनुग्रह (ग्रेस) अंकों के रूप में 10 अतिरिक्त अंक प्राप्त होंगे। ऐसा उस सामान्य सिद्धांत के अनुरूप होगा जिसमें विधवा/पत्नी को वरीयता देते हुए अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति दिए जाने की आवश्यकता है।**

2. **उपरोक्त के अलावा ऐसे मामलों में जहां मृतक कर्मचारी/चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारी जो एमटीएस, कैंटीन स्टाफ (रसोई और धुलाई से जुड़े कार्य) और स्टाफ कार ड्राइवर/डिस्पैच राइडर जैसे अनिवार्य मैनुअल पदों पर सेवारत थे, को 05 अतिरिक्त अंक ग्रेस के रूप में प्रदान किए जाएंगे।**

3. ऐसे मामलों जहां अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुरोध संबंधी आवेदनों पर विचार करने के लिए गठित मंत्रालय/विभाग द्वारा पूर्व प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए पहले ही विचार किया जा चुका है, <u>उनको पुन: विचारार्थ लेने की आवश्यकता नहीं है।</u>

***

अनुबंध-II

सरकारी कर्मचारी के सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर/अशक्तता पेंशन पर सेवानिवृत्त होने पर उसके आश्रितों के नियोजन के संबंध में प्रोफार्मा

भाग-क

I.	(क)	सरकारी कर्मचारी का नाम (मृतक/ चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त)	
	(ख)	सरकारी कर्मचारी का पदनाम	
	(ग)	क्या एमटीएस (पूर्ववर्ती समूह 'घ') है या नहीं?	
	(घ)	सरकारी कर्मचारी के जन्म की तारीख	
	(ङ)	मृत्यु/चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति की तिथि	
	(च)	की गई सेवा की कुल अवधि	
	(छ)	स्थायी या अस्थायी	
	(ज)	एससी/एसटी/ओबीसी	
II.	(क)	नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का नाम	
	(ख)	सरकारी कर्मचारी के साथ उसका संबंध	
	(ग)	जन्म तिथि	
	(घ)	शैक्षिक योग्यता	
	(ङ)	क्या परिवार के किसी अन्य आश्रित सदस्य को अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किया गया है।	
III.	राशि सहित शेष कुल संपत्ति का विवरण		
	(क)	परिवार पेंशन	
	(ख)	डी.सी.आर. ग्रेच्युटी	
	(ग)	जी.पी.एफ.बैलेंस	
	(घ)	जीवन बीमा पॉलिसी (पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस सहित)	
	(ङ)	सी.जी.ई.बीमा राशि	
	(च)	अवकाश नकदीकरण	
		कुल (ख+ग+घ+ङ +च)	
	(छ)	वार्षिक आय: (क) संपत्ति से (ख) परिवार के सदस्य द्वारा अर्जित	
	(ज)	(क) चल संपत्ति (बाजार मूल्य) (ख) अचल संपत्ति (फिक्स डिपॉजिट/बैंक बैलेंस, एलआईसी से दावा, पीएलआई योजना, अन्य निवेश)	
	(झ)	अन्य संपत्ति	
		कुल (ज+झ):	

IV.	देनदारियों का संक्षिप्त विवरण, यदि कोई हों	

V. सरकारी कर्मचारी के परिवार के सभी आश्रित सदस्यों का विवरण (यदि कुछ कार्यरत हैं तो उनकी आय और क्या वे एक साथ अथवा अलग-अलग रह रहे हैं)

क्र. सं.	नाम	सरकारी कर्मचारी के साथ संबंध	आयु	पता	कार्यरत हैं या नहीं (यदि नियोजित हैं तो रोजगार और परिलब्धियों का विवरण)	वैवाहिक स्थिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						
3						
4						
5						

VI. घोषणा/ वचनबद्धता

1. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर दिए गए तथ्य मेरी जानकारी के अनुसार सही हैं। यदि यहां उल्लिखित तथ्यों में से कोई भी भविष्य में गलत या झूठा पाया जाता है तो मेरी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं

2. मैं एतद्द्वारा यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं इस प्रपत्र के भाग-क के 1(क) में उल्लिखित सरकारी कर्मचारी/सशस्त्र बलों के सदस्य पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों का उचित भरण पोषण करूंगा और यदि किसी भी समय यह साबित हो जाता है कि उक्त परिवार के सदस्यों की उपेक्षा की जा रही है अथवा मेरे द्वारा ठीक से रखरखाव नहीं किया जा रहा है तो मेरी नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

दिनांक :

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

नाम:______________________________

पता:______________________________

____

उपरोक्त विवरण सरकारी कर्मचारी के सेवा रिकॉर्ड से सत्यापित किया गया है

मुहर के साथ सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर (एसओ/एओ)

भाग-ख

(जिस कार्यालय में नौकरी का प्रस्ताव है, उसके द्वारा भरा जाना)

(I)	(क)	नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का नाम	
	(ख)	सरकारी कर्मचारी के साथ उसका संबंध	
	(ग)	आयु (जन्म तिथि), शैक्षिक योग्यता और अनुभव, यदि कोई हो	
	(घ)	पद (समूह-ग) जिसके लिए रोजगार प्रस्तावित है	
	(ङ)	क्या अनुकंपा नियुक्ति योजना के तहत निर्धारित 5% की सीमा के भीतर उस पद पर रिक्ति है?	
	(च)	क्या भरा जाने वाला पद केंद्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में शामिल है या नहीं	
	(छ)	क्या प्रासंगिक भर्ती नियमों में सीधी भर्ती का प्रावधान किया गया है	
	(ज)	क्या अभ्यर्थी पद के लिए भर्ती नियमों की आवश्यकताओं को पूरा करता है	
	(झ)	रोजगार कार्यालय/कर्मचारी चयन आयोग की प्रक्रिया में छूट के अलावा और क्या छूट दी जानी है	
(II)	क्या भाग-क में उल्लिखित तथ्यों का कार्यालय द्वारा सत्यापन किया गया है और यदि हां तो अभिलेखों का उल्लेख करें		
(III)	यदि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु/ चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति 5 वर्ष से अधिक पहले हुई है तो मामला पहले क्यों नहीं लिया गया था।		
(IV)	मंत्रालय/विभाग/कार्यालय में विभागाध्यक्ष की व्यक्तिगत सिफारिश (उनके हस्ताक्षर और कार्यालय की स्टाम्प/मुहर सहित)		

<u>भाग -ग</u>
<u>अनुकंपा नियुक्ति के लिए 100 अंकों के पैमाने के आधार पर योग्यता अंक मूल्यांकन</u>

क्र. सं.	**मापदंड**	**मापदंडों को आवंटित अंक**	**अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक**
1.	परिवार की आय (कुल 40 अंक)		
i)	परिवार पेंशन/पेंशन* (डीए सहित मूल)	**20**	
ii)	टर्मिनल लाभ अर्थात सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर परिवार द्वारा प्राप्त एकमुश्त राशि (अर्थात डीसीआर ग्रेच्युटी, जीपीएफ/पीपीएफ खाता शेष, सीजीईजीआईएस, अवकाश नकदीकरण)	**10**	
iii)	सेवा लाभ के अलावा आय - चल/अचल संपत्ति से वार्षिक आय के साथ-साथ परिवार के अन्य सदस्य (सदस्यों) द्वारा अर्जित वार्षिक आय	**10**	
2.	चल/अचल संपत्ति/परिवार की संपत्ति (नवीनतम बाजार मूल्य) जिसमें सावधि जमा/बैंक बैलेंस, अन्य निवेश, एलआईसी दावा आदि (उपरोक्त बिंदु 1(iii) में उल्लिखित सेवा लाभों को छोड़कर) शामिल हैं।	**05**	
3.	ऋण (बैंकों/वित्तीय संस्थानों से)/परिवार पर बकाया ऋण	**10**	
4.	मृतक/चिकित्सकीय रूप से अशक्त कर्मचारी की शेष सेवा	**10**	
5.	सरकारी कर्मचारी की मृत्यु या चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति के बाद की समयावधि* (तत्काल राहत)	**10**	
6.	आश्रितों की संख्या (नाबालिग बच्चों को छोड़कर)	**05**	
7.	मृतक सरकारी सेवक के नाबालिग बच्चे	**10**	
8.	आश्रित {शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग (आयु सीमा के	**10**	
9.	**कुल**	**100**	

* डीओपीटी के दिनांक 16.01.2013 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14014/02/2012-स्था.(घ) के अनुसार चिकित्सकीय रूप से अमान्य

नोट:

1. उपरोक्त के अलावा ऐसे मामलों में जहां मृतक कर्मचारी की विधवा/ऐसे कर्मचारी की पत्नी जो चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त हो गया है ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया है उसे ग्रेस पॉइंट के रूप में 10 अतिरिक्त अंक मिलेंगे। यह इस सामान्य सिद्धांत के अनुरूप होगा कि अनुकम्पा नियुक्ति के लिए विधवा/उस पत्नी को वरीयता दी जानी चाहिए।

2. उपरोक्त के अलावा ऐसे मामले जहां मृतक कर्मचारी/ऐसे कर्मचारी जो चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त हुए हैं एमटीएस, कैंटीन स्टाफ (रसोई और धुलाई) और स्टाफ कार चालक/डिस्पैच राइडर के अनिवार्य रूप से मैनुअल पदों पर काम कर रहे थे, में ग्रेस पॉइंट के रूप में 05 अतिरिक्त अंक मिलेंगे।